जनपद न्यायालय, वाराणसी।

नीलामी आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर में स्थित वर्ष 2025–26 के लिए दुकानों व वाहन स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 26.03.2025 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तों की जानकारी दीवानी न्यायालय, वाराणसी के नोटिस बोर्ड अथवा नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट सहित दिनांक 25.03.2025 तक नजारत कार्यालय में सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी बोली को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

इस नोटिस को वाराणसी जिले के किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये एवं इसकी सूचना न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

25.2.25

(रवीन्द्र कु0 श्रीवास्तव)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. प्रति कम्प्यूटर अनुभाग को न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रति आयुक्त, वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
4. प्रति जिलाधिकारी, वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
5. प्रति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

(रवीन्द्र कु0 श्रीवास्तव)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

जनपद न्यायालय, वाराणसी।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर में स्थित वर्ष 2025–26 के लिए दुकानों व वाहन स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 26.03.2025 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र तथा नियमो एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय के वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

25-2-25

(रवीन्द्र कु0 श्रीवास्तव)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नीलाम किये जाने हेतु दुकानों का विवरण

क्रम सं0	नाम दुकान/ठेका	वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि	वर्ष 2025–26 के लिये न्यूनतम बोली (10 प्रतिशत बढ़ा कर)	आवेदन फार्म के साथ जमा होने वाली जमानत धनराशि (ड्राफ्ट के रुप में)
1	चाय की दुकान नं0 2	*2,14,500.00*	2,36000-00	*24,000-00*
2	फल की दुकान नं0 1	*1,05,000.00*	1,15,500-00	*12,000-00*
3	फल की दुकान नं0 2	*1,17,000.00*	1,29,000-00	*13,000-00*
4	फल की दुकान नं0 4	*1,21,000.00*	1,33,000-00	*13,500-00*
5	भूजा की दुकान नं0 1	*85,000.00*	93,500-00	*10,000-00*
6	भूजा की दुकान नं0 2	*31,000.00*	34,500-00	*3,500-00*
7	भूजा की दुकान नं0 3	*92,000-00*	1,01,500-00	*10,500-00*
8	भूजा की दुकान नं0 4	*35,500-00*	39,000-00	*4,000-00*
9	स्टेशनरी की दुकान	*65,000-00*	71,500-00	*7,500-00*
10	फोटो ग्राफी स्टाल नं0 1	*22,500-00*	25,000-00	*2,500-00*
11	फोटो ग्राफी स्टाल नं0 2	*16,500-00*	18,000-00	*2,000-00*
12	हार्ड वेयर की दुकान	*31,200.00*	34,500-00	*3,500-00*
13	चश्मे की दुकान	*वर्ष 2023–24 से वृद्धि की गयी*	32,000-00	*3,500-00*
14	फोटो स्टेट की दुकान नं0 1	*1,31,000.00*	1,44,000-00	*15,000-00*
15	फोटो स्टेट की दुकान नं0 3	*96,200.00*	1,06,000-00	*11,000-00*
16	फोटो स्टेट की दुकान नं0 5	*96,000.00*	1,06,000-00	*11,000-00*
17	फोटो स्टेट की दुकान नं0 7	*96,300.00*	1,06,000-00	*11,000-00*
18	फोटो स्टेट की दुकान नं0 8	*96,000.00*	1,06,000-00	*11,000-00*
19	फोटो स्टेट की दुकान नं0 9	*87,000.00*	96,000-00	*11,000-00*
20	फोटो स्टेट की दुकान नं010	*वर्ष 2023–24 से वृद्धि की गयी*	1,00,000-00	*11,000-00*
21	फोटो स्टेट की दुकान नं011	*72,000-00*	79,500-00	*11,000-00*
22	फोटो स्टेट की दुकान नं012	*1,00,000.00*	1,10,000-00	*11,000-00*
23	जूता–चप्पल की दुकान	*वर्ष 2023–24 से वृद्धि की गयी*	28,000-00	*3,000-00*
24	साईकिल/वाहन स्टैण्ड	*वर्ष 2019–20 से वृद्धि की गयी*	13,50,000-00	*1,50,000-00*
	कुल धनराशि	***17,10,700-00***	**33,90,500-00**	***3,65,500-00***

केन्द्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय, वाराणसी

परिसर में दुकानों की स्थिति

क्रम सं0	नाम दुकान/ठेका	वित्तीय वर्ष 2024–25 क आबंटियो के नाम	परिसर में दुकानों की स्थिति
1	चाय की दुकान नं0 2	श्री हिमांशु यादव	मुख्य भवन के उ0पू0 कोने पर
2	फल की दुकान नं0 1	श्री विरेन्द्र कुमार	गेट सं0–2 के सामने सड़क के किनारे
3	फल की दुकान नं0 2	श्री विवेक सोनकर	मुख्य भवन द0पू0 कोने पर पानी की टंकी के पार्श्व में
4	फल की दुकान नं0 4	श्री पवन सोनकर	नयी 16 कक्षीय भवन के मुख्य गेट के पार्श्व में
5	भूजा की दुकान नं0 1	श्री राम लगन जायसवाल	परिवार न्यायालय के सामने सड़क के किनारे
6	भूजा की दुकान नं0 2	श्री भोलानाथ गुप्ता	मुख्य भवन के द0पू0 कोने पर सड़क के किनारे
7	भूजा की दुकान नं0 3	श्री लाल जी गुप्ता	मुख्य भवन के दक्षिणी सड़क के किनारे
8	भूजा की दुकान नं0 4	श्री रामाज्ञा शर्मा	गेट सं0–04 के पास
9	स्टेशनरी की दुकान	श्री रूपेश भारद्वाज	मुख्य भवन के द0पू0 कोने पर सडक् के किनारे
10	फोटो ग्राफी स्टाल नं0 1	श्री शुभम कुमार	गेट सं0–01 के सामने सड़क के किनारे
11	फोटो ग्राफी स्टाल नं0 2	श्री गोपाल गिरी	गेट सं0–05 के रास्ते पर
12	हार्ड वेयर की दुकान	श्री आजाद खान	मुख्य भवन के पूर्वी पोर्टिको के दक्षिण, सड़क के किनारे
13	फोटो स्टेट की दुकान नं0 1	श्री विजय कुमार पाण्डेय	गेट सं0–02 के पार्श्व में
14	फोटो स्टेट की दुकान नं0 3	श्री राकेश कुमार पाण्डेय	गेट सं0–05 के पार्श्व में
15	फोटो स्टेट की दुकान नं0 5	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	गेट सं0–05 के पार्श्व में
16	फोटो स्टेट की दुकान नं0 7	श्री रविन्द्र नाथ शर्मा	गेट सं0–04 के रास्ते पर
17	फोटो स्टेट की दुकान नं0 8	श्री जगदीश प्रसाद	गेट सं0–04 के रास्ते पर
18	फोटो स्टेट की दुकान नं0 9	श्री संजय कुमार जैसल	गेट सं0–04 के रास्ते पर
19	फोटो स्टेट की दुकान नं011	सैय्यद अली असहब रजा	गेट सं0–05 के पार्श्व में
20	फोटो स्टेट की दुकान नं012	श्री रमेश यादव	मुख्य भवन के दक्षिणी रास्ते पर
21	चश्मे की दुकान	...	गेट सं0–04 के दक्षिणी पार्श्व में
22	फोटो स्टेट की दुकान नं010	...	गेट सं0–04 के रास्ते पर
23	जूता–चप्पल की दुकान	...	नयी 12 कक्षीय भवन के निकास द्वार के बगल में
24	वाहन स्टैण्ड	...	मुख्य भवन के पूरब मुख्य सड़क के किनारे

27/2/25

केन्द्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय, वाराणसी

Seen
01.3.25

मूल्य 200/—

जनपद न्यायालय, वाराणसी

वर्ष 2025—2026 की नीलामी हेतु आवेदन पत्र

क्र0सं0—............

फोटो

1— आवेदक का नाम...

2— पिता का नाम ....

3— स्थायी पता (पते का प्रमाणपत्र संलग्न होगा) ....

....

4— पत्र व्यवहार का पता ....

....

5— पहचान पत्र (वोटर कार्ड/पैन कार्ड)..

6— आधार संख्याः...

6— मोबाईल/टेलीफोन नं0 ....

7— वांछित दूकान/स्टाल/ठेका का विवरण...

8— जमानत धनराशि का विवरण ....

9— पूर्व में आवंटित दूकान/स्टाल/ठेका का विवरण..

10—पूर्व में आवंटित दूकान/स्टाल/ठेका की धनराशि अदा करने का प्रमाण पत्र ....

11—दो जमानतदारों के नाम पता व मोबाइल नं0

1—.. 2...
....
....
....
....

माननीय महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 20.02.2025 के अनुपालन में नीलामी समिति के सदस्यों की बैठक आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 1:30 बजे आहूत की गयी। श्रीमती तुलिका बन्धु, लधुवाद न्यायाधीश, वाराणसी आज अवकाश पर हैं शेष सभी सदस्यगण उपस्थित आयें। समिति द्वारा जनपद न्यायालय वाराणसी परिसर स्थित दुकानों व वाहन स्टैण्ड की वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए की जाने वाली नीलामी की प्रकिया आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया।

केन्द्रीय नाजिर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर परिसर में स्थित कुल 23 दुकानों व 01 वाहन स्टैण्ड के नीलामी करायी जानी है।

केन्द्रीय नाजिर द्वारा यह भी बताया गया कि सभी दुकानों के लिये इस वर्ष की नीलामी दर में होने वाले वृद्धि को रोकने अथवा पुर्नस्थापित किये जाने हेतु पूर्व आवंटियों द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र को उचित दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्रांक 189/XV दिनांकित 17.04.2024 तथा 45/XV दिनांकित 12.02.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुआ है।

नीलामी समिति के सदस्यगण द्वारा सभी तथ्यों/परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते हुये नीलामी की तिथि सर्वसम्मति से दिनांक **26.03.2025** तय किया गया व नीलामी की शर्ते आदि तय की गयी। जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 की धनराशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 10 प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। नीलामी की शर्ते अलग प्रपत्र पर माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(मनीष कुमार–।।)	(तूलिका बन्धु)	(अनुभव द्विवेदी) 24/2/25	(देवकान्त शुक्ला) 24/2/25	(रवीन्द्र कु0 श्रीवास्तव) 24.2.25
सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति,
मुख्य न्यायिक मजि0,	लघुवाद न्यायाधीश,	वि0 न्याया0, पॉक्सो,	वि0 न्याया0 एस.सी./	वि0 न्याया0, भ्र0नि0अधि0
वाराणसी	वाराणसी (अवकाश)	कक्ष सं0–02, वाराणसी	एस.टी. वाराणसी	कक्ष सं0–4, वाराणसी

Approved
25/2/2025

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी अधिसूचना वर्ष 2025–26 के नियम व शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के परिसर में स्थित दुकानो/स्टालों/ठेकों/साइकिल स्टैण्ड की वर्ष 2025–26 की नीलामी दिनांक 26.03.2025 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 12:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैः–

1– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियो को इससे पूर्व परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, से सम्बन्धित नीलामी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हे इस नीलामी में किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

2– नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/– रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक **25.03.2025** तक प्राप्त किये जा सकते है।

3– नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को सम्बन्धित दुकान/ठेके की स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत का **बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी** के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक **25.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

5– नीलामी के उपरान्त प्रत्येक **आवंटियों को वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित धनराशि का 25 प्रतिशत दिनांक 26.03.2025 को ही नजारत कार्यालय में जमा करना होगा।** शेष धनराशि को दिसम्बर–2025 तक (तीन बराबर किस्तो में जो जून–2025, सितम्बर–2025 तथा अंतिम किस्त दिसम्बर–2025) में भुगतान करना अनिवार्य होगा। नीलामी की ये किस्ते हर त्रैमास शुरू होने के पूर्व ही जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका/आवंटन जिला न्यायाधीश के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

6– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड, आधार संख्या व किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रो के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियो में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

8– किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेको की नीलामी राशि वर्ष 2024–25 की नीलामी की राशि की तुलना में इस वर्ष कम स्वीकार नही की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर एक संविदा, जो कि मूल्य सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा जो आवंटन प्राप्त कर्ता द्वारा क्रय किया जायेगा, निष्पादित करनी होगी। संविदा निष्पादित न करने वाले दुकानदार/ठेकेदार को दुकान/ठेका चलाने की अनुमति नही दी जायेगी। आवंटियो को बोली स्वीकृत होते ही स्वयं के नाम क्रय किया हुआ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर नीलामी की तिथि को ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

10– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार अपनी दुकान ठेके में उन्ही वस्तुओ की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी दुकानदार/ठेकेदार को अपने हाकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर सामानो की बिक्री कराये जाने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त प्रतिबंधो का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

11– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपने दुकान/ठेको को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।यदि आबंटी किसी सहायक को रख कर अपना काम कराता है तो उसका पहचान पत्र व आधार नजारत कार्यालय में जमा करेगा।

12– वर्ष 2025–26 के लिये आवंटित दुकानो/ठेको का आवंटन दिनांक 31.03.2026 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियो में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश वाराणसी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्त कर्ता प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण आवश्यक हो तो जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुमति लेकर ही करेंगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा, एवं उसे वह दिनांक 31.03.2026 तक आबंटित अवधि के पश्चात उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। **यदि आवंटियो द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आबंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नही करेगा।** इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका का आबंटन जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13– यदि किसी कारण वर्ष 2025–26 में अथवा उक्त वर्ष के किसी भी अवधि में न्यायालय बन्द रहता है या किसी कारणवश दुकान/ठेका के खुलने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की नही होगी तथा किसी भी न्यायालयी प्रयोजन हेतु दुकान/ठेके के स्थान को उपयोग करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। इसके लिए नीलामी की राशि में कोई छूट नही की जायेगी।

		24/2/25	24/2/25	24-2-25
(मनीष कुमार–।।)	(तूलिका बन्धु)	(अनुभव द्विवेदी)	(देवकान्त शुक्ला)	(रवीन्द्र कु0 श्रीवास्तव)
सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति,
मुख्य न्यायिक मजि0,	लघुवाद न्यायाधीश,	वि0 न्याया0, पॉक्सो,	वि0 न्याया0 एस.सी./	वि0 न्याया0, भ्र0नि0अधि0
वाराणसी	वाराणसी	कक्ष सं0–02, वाराणसी	एस.टी. वाराणसी	कक्ष सं0–4, वाराणसी
	(अवकाश)			

Approved
25/2/25